

Regarding need to remove ban on export of non-basmati rice-laid

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस रोक का असर मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज पर पड़ा है, जो कालानमक चावल का प्राथमिक निर्यात केंद्र है। चावल की यह किस्म अपनी इतिहास छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तराशती है; इसे भगवान बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है। कला नमक चावल उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लगभग 20 जिलों में उगाया जाता है। हाल में इसे उत्तर प्रदेश के "एक जिला, एक उत्पाद" स्कीम के अंतर्गत सिद्धातनगर के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब काला नमक चावल उत्पादन में 2019 में 4,311 मीट्रिक टन से 2021-22 में 15,000 मीट्रिक टन तक तीन गुना वृद्धि देखी गई है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस चावल की अंतर्राष्ट्रीय मांग 2019-20 में 2% से बढ़कर 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 7% हो गई है। यह प्रतिबंध कालानमक चावल उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावित करता है। अतः मेरी सरकार से अनुरोध है कि जनहित में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक को समाप्त करने का कष्ट करे।